



के लगभग 10 वर्षों के बाद उत्तरवादी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-1753/1984 दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, बिहार पटना ने उक्त रिट याचिका में दिनांक-03.04.1984 को आदेश पारित किया गया कि विचाराधीन जमीन यदि पहले से वितरित नहीं किया गया है, तो इस याचिका के लंबित रहने के दौरान वितरित नहीं की जाएगी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पूर्व कानूनी रूप से अपीलकर्तागण को उक्त जमीन वितरित किया जा चुका था एवं रा०वि० वाद सं०-91/2009 (अनिरुद्ध रविदास वगैरह बनाम् रैयान मौजा-कौड़ी बहियार) के आदेश द्वारा 18 लाभान्वितों को कोर्ट अमीन के द्वारा जमीन का सीमांकन किया गया है एवं अपीलकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से उक्त जमीन का जोत आबाद कर रहे हैं तथा मालगुजारी का भुगतान कर लगान रसीद भी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-कौड़ी बहियार नं०-509, जमाबंदी सं०-60 एवं 104 उत्तरवादी के पूर्वजों मोतीलाल झा, तेजनारायण झा, त्रिवेणी झा व चुनचुन झा पेशरान संतोखी झा के नाम से गंजर पर्चा में दर्ज हैं। यह मामला भू हदबन्दी वाद सं०-24/73-74 से संबंधित है, जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा ने पारित आदेश दिनांक-23.07.1974 में स्पष्ट आदेश दिये हैं कि इससे अधिशेष भूमि अर्जित नहीं की जा सकती है। फलतः यह मामला समाप्त किया गया है। पुनः वर्ष 1981 में उपायुक्त, दुमका के आदेश पर इस वाद को पुनर्जिवित किया गया तथा केवल मोतीलाल झा के पुत्रों को नोटिश भेजा गया तथा शेष तीन भाई के वंशजों को नोटिश नहीं दिया गया तथा गलत ढंग से आदेश पारित कर उत्तरवादी के 63.59 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर 30 मार्च 1984 को पर्चा वितरण कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध उत्तरवादी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में 02.04.1984 को रिट याचिका सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-1753/84 दायर किया, जिस पर दिनांक-03.04.1984 को माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। इसके बाद पर्चाधारियों को दखल नहीं दिलायी जा सकी। उनका आगे कथन है कि वर्ष 1989 में मौजा-कौड़ीबहियार के पर्चाधारियों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी,